

वनियमन समीक्षा प्राधिकरण

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के **वनियमन समीक्षा प्राधिकरण (RRA)** ने उन 714 नियामक नरिदेशों को वापस लेने की सफ़ारिश की है जो या तो अप्रचलित या अप्रासंगिक हो गए हैं।

- यह वभिन्न मुद्दों पर RRA 2.0 की सफ़ारिशों का हस्सा है, जैसे कि
 - अनुपालन में आसानी
 - नियामक बोझ में कमी
 - रपिर्गति तंत्र का युक्तिकरण
 - नरिदेश और संचार को सुव्यवस्थित करना

RRA 2.0 की सफ़ारिशें:

- प्रपत्र-आधारित रटिर्न को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और 65 नियामक रटिर्न की पहचान की गई है जिन्हें या तो बंद कर दिया जाना चाहिये या अन्य रटिर्न के साथ वलिय कर दिया जाना चाहिये या ऑनलाइन रटिर्न में परिवर्तित किया जाना चाहिये।
- हाल के परपित्तों के साथ संरेखण हेतु वर्जति-समय और पुराने नियमों की समीक्षा तथा नरिसन को लिया जा सकता है तथा इस अभ्यास को इस तरह से संस्थागत किया जा सकता है कि केवल वर्तमान एवं अद्यतन नरिदेश सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकें।
- RRA द्वारा तीन वर्षों में कम-से-कम एक बार नियामक या पर्यवेक्षी रटिर्न की आवधिक समीक्षा का प्रस्ताव दिया गया है।
- नियामक, पर्यवेक्षी और सांघिक वविरणियों से संबंधित सभी जानकारी को भारतीय रज़िर्व बैंक की वेबसाइट पर एक ही स्रोत पर समेकित करने हेतु RBI की वेबसाइट पर एक अलग 'नियामक रपिर्गति' पेज हो।

वनियमन समीक्षा प्राधिकरण:

- पृष्ठभूमि:
 - RBI ने 1 अप्रैल, 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिये पहला RRA स्थापित किया था।
 - यह जनता, बैंकों और ववित्तीय संस्थानों की प्रतिक्रिया के आधार पर वनियमों, परपित्तों, रपिर्गति प्रणालियों की समीक्षा करेगा।
- RRA 2.0:
 - RRA 2.0 वनियमों के तहत संस्थाओं के अनुपालन **बोझ को कम करते हुए नियामक नरिदेशों** को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है। **RRA 2.0 प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और जहाँ भी संभव हो रपिर्गति आवश्यकताओं को कम करके** इसे प्राप्त करेगा।
 - RBI ने वनियमि संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने और **नियामक नरिदेशों को कारगर बनाने के लिये वर्ष 2021 में RRA 2.0** की स्थापना की थी।
- RRA 2.0 की संदर्भ शर्तें:
 - यह नियामक नरिदेशों को सुव्यवस्थित करने, जहाँ भी संभव हो रपिर्गति की प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं को कम करके और वनियमि संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि ववषियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
 - इसके अलावा यह वनियमि संस्थाओं से भी प्रतपिष्ट प्राप्त करेगा।
 - RRA रपिर्गति तंत्र को सुव्यवस्थित करके वनियमि संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करेगा; यदि आवश्यक हो तो अप्रचलित नरिदेशों को रद्द करेगा।
 - भारतीय रज़िर्व बैंक के परपित्तों/अनुदेशों के प्रसार की प्रक्रिया में अपेक्षित परिवर्तनों की जाँच करना और उन पर सुझाव देना।
 - प्रक्रिया को सुवधाजनक बनाने के लिये सभी वनियमि संस्थाओं और अन्य हतिधारकों के साथ आंतरिक एवं बाह्य रूप से संलग्न होना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

